न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 06 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. भगाराम पुत्र सवाराम जाति चौधरी निवासी सरवड़ी चारणान तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर।	बनाम	1.केवलराम पुत्र सवाराम जाति चौधरी निवासी सरवड़ी चारणान तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर। 2.तहसीलदार समदड़ी।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 17 / 2017 बअनवान केवलराम बनाम भगाराम वगैरह में निर्णय दिनांक 23.01.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कपिल श्रीमाली रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 03.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा गोलिया चौधरियान के खसरा 1734 / 1419 रकबा 01.13 बीघा व खसरा संख्या 1735 / 1419 रकबा 06.02 बीघा कुल खसरा 02 कुल रकबा 07.15 बीघा की आई हुई है। मौजा गोलिया चौधरियान खेत खसरा संख्या 1420 रकबा 07.13 बीघा खसरा संख्या 1422 रकबा 09.02 बीघा, खसरा संख्या 1734 / 1419 रकबा 06.02 बीघा, खसरा संख्या 1281 रकबा 02.06 बीघा की भूमि पूर्व में गोबरराम, भगाराम, केवलराम पिसरान सवाराम के संयुक्त खातेदारी की थी जो अपासी बंटवाड़े से भूमि का बंटवाड़ा करवाया जाकर विप्रार्थी भगाराम के हिस्से में खेत खसरा संख्या 1420 07.13 बीघा, खसरा संख्या 1422 रकबा 09.02 बीघा भूमि रही तथा खसरा संख्या 1734 / 1419 रकबा 01.13 बीघा व खसरा संख्या 1735 / 1419 रकबा 06.02 बीघा भूमि प्रार्थी के हिस्से में रखी गई तथा खसरा संख्या 1281 रकबा 06.02 बीघा की भूमि गोबरराम के हिस्से में रखी गई जो तीनों ही खातेदार सगे भाई होने से प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1734 / 1419 व 1735 / 1419 की खातेदारी भूमि में से आवागमन खसरा संख्या 1420, 1422 की पश्चिमी माठ के किनारे होते हुए आवागमन हेतु रास्ते की भूमि छोड़ी गई जिसके जरिये प्रार्थी अपने खातेदारी खेत की भूमि से विप्रार्थी के खातेदारी खेत की भूमि में से होता हुआ सरवड़ी चारणान की सरहद में मौके पर स्थित कटान मार्ग रायथल जाने वाले ग्रवेल सड़क से आवागमन करता था। वर्तमान में विप्रार्थी उपरोक्त आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट / प्रार्थी द्वारा इस आश्य का आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2019 को अंतिम बहस करने हेतु हिदायत दी कि आगामी पेशी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पर उनके द्वारा बहस नहीं सुनाये जाने पर एकतरफा बहस सुनी जाकर आदेश दिया जायेगा एवं आगामी पेशी दिनांक 23.02.2019 को निश्चित की गई जिस पर अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दिनांक 29.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु गये तब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली की आदेशिका में कांटछांट करते हुए दिनांक 23.02.2019 के स्थान पर दिनांक 23.01.2019 करते हुए एकपक्षीय रूप से बहस सुनकर यह अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त करने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2019 को अंतिम बहस करने हेतु हिदायत दी कि आगामी पेशी पर उनके द्वारा बहस नहीं सुनाये जाने पर एकतरफा बहस सुनी जाकर आदेश दिया जायेगा एवं आगामी पेशी दिनांक 23.02.2019 को निश्चित की गई जिस पर अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दिनांक 29.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु गये तब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली की आदेशिका में कांटछांट करते हुए दिनांक 23.02.2019 के स्थान पर दिनांक 23.01.2019 करते हुए एकपक्षीय रूप से बहस सुनकर यह अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उतरदाता/प्रार्थी के पास पूर्व में प्रचलित खसरा संख्या 1423 पश्चिमी माठ पर अवस्थित है तथा खसरा संख्या 1423 पर वर्तमान में रास्ता चल रहा है उक्त रास्ते से उतरदाता संख्या 01 आराम से आवागमन कर सकता है परन्तु उतरदाता संख्या 01 अपीलकर्ता को अनुचित हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अपीलकर्ता के खातेदारी के खसरा संख्या 1422 व 1420 में से रास्ता कायम करवाना चाहता है। वैकल्पिक रास्ते का उल्लेख मौका रिपोर्ट में भी किया गया है।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1734/1419 व 1735/1419 में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, राजस्व अभिलेख एवं प्रार्थी/रेस्पोडेंट के रास्ते बाबत प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन पश्चात यह पाया है कि मौजा गोलिया चौधरियान में वादग्रस्त रास्ते से संबंधित भूमि विभाजन से पूर्व सवा के तीन पुत्रों गोबरराम, भगाराम, केवलराम पिता सवाराम की संयुक्त खातेदारी भूमि थी जिसका आपसी सहमती से बंटवाड़ा हो जाने के फलस्वरूप अपीलांट भगाराम के हिस्से खेत खसरा संख्या 1420 रकबा 07.13 बीघा एवं खसरा संख्या 1422 रकबा 09.02 बीघा भूमि आई जबकि रेस्पोडेंट केवलराम के हिस्से खेत खसरा संख्या 1434/1419 रकबा 01.13 बीघा व 1735/1419 रकबा 06.02 बीघा भूमि आई। विभाजन के वक्त दोनों भाईयों ने रास्ते का प्रावधान नहीं रखा। तहसीलदार समदड़ी के पत्रांक भू.अ./2018/1436 दिनांक 20.08.2018 से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सहखातेदारों के मध्य जोत विभाजन के वक्त रास्ते का प्रावधान रखा जाना उचित था जो नहीं रखा गया। "तब रेस्पोडेंट/प्रार्थी केवलाराम ने विभाजित जोत में से ही रास्ते का आवेदन किया। यह रास्ता मुताबिक मौका रिपोर्ट "सबसे कम दूरी का है और अन्य कोई रास्ता चालू नहीं है, तथा न ही कोई अन्य विकल्प ही मौजूद है। यह प्रदत्त रास्ता ग्राम सरवड़ी चारणान और गोलिया चौधरियान की उभयनिष्ठ सीमा पर स्थित राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गैर मुमकिन रास्ता तक पहुंच रखता है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम सरवड़ी चारणान की सुरी (सीमा द्योतक चिन्ह) संख्या 29, 30 व 31 तदनुसार ग्राम गोलिया चौधरियान की सुरी संख्या 135, 134 व 133 है जिनके मध्य गैर मुमकिन रास्ता उपलब्ध है। इस गैर मुमकिन रास्ते पर रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते से सीधी व कम दूरी की पहुंच है। अपीलाधीन निर्णय वाजिब एवं नियमानुसार प्रदत्त है इसमें कोई परिवर्तन करना उचित नहीं है।

(राजस्व अपील आ... बाड़मेर)

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 17/2017 बअनवान केवलराम बनाम भगाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2019 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

(नखतदान बारहठ)बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी

बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी

बाड़मेर

Scanned by CamScanner